40

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – NHM/BHDS/662/2019 63 /कृ0, पटना दिनांक 10/01/ ~~2019~~ 2020

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय– राज्य स्कीम मद से उद्यान प्रदर्शनी, (राज्यस्तरीय एवं प्रमंडल स्तरीय) अधिवेशन/सम्मेलन (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) एवं मधुपर्व (राज्यस्तरीय) के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 तक कुल दो वित्तीय वर्षों के लिए कुल 497.00 लाख (चार करोड़ संतानवे लाख मात्र) रूपया की लागत पर योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 170.00 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) रूपया की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : **स्वीकृत।**

महाशय,

राज्य स्कीम मद से उद्यान प्रदर्शनी, (राज्यस्तरीय एवं प्रमंडल स्तरीय) अधिवेशन/सम्मेलन (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) एवं मधुपर्व (राज्यस्तरीय) के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 तक कुल दो वित्तीय वर्षों के लिए कुल 497.00 लाख (चार करोड़ संतानवे लाख मात्र) रूपया की लागत पर योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 170.00 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उद्यानिक फसलों के उत्कृष्ट उत्पादन में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान प्रदर्शनी का कार्यक्रम है।

3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अवयव	इकाई लागत	भौतिक	वित्तीय
1	2019.20	राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (सब्जी)	35.00	1	35.00
		राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (फूल)	35.00	1	35.00
		प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी	8.00	9	72.00
		राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/ अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेना (स्टॉल लगाना)	8.00	1	8.00
		अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/ अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेना (स्टॉल लगाना)	20.00	1	20.00
	कुल				**170.00**
2	2020–21	राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (आम)	35.00	1	35.00
		राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (लीची)	35.00	1	35.00
		राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (सब्जी)	35.00	1	35.00
		राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी (फूल)	35.00	1	35.00
		प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी	8.00	9	72.00
		राज्यस्तरीय मधुपर्व (Honey Festival)	15.00	1	15.00
		राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/ अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेना (स्टॉल लगाना)	8.00	5	40.00
		अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/ अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेना (स्टॉल लगाना)	20.00	3	60.00
	कुल				**327.00**
Grand Total (1+2)					**497.00**

4. बिहार के सभी प्रमंडल यथा–पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, सहरसा, दरभंगा, तिरहुत एवं सारण में प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा, राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेना (स्टॉल लगाना) का कार्य बिहार बागवानी विकास सोसाईटी पटना द्वारा किया जायेगा।

5. अनुसूची–1 में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का विस्तृत कार्ययोजना है। योजना का कार्यान्वियन वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूची–2 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूची–3 के अनुसार किया जायेगा।

Rdiv 10

6. वित्तीय वर्षवार स्वीकृत राशि का व्यय राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी/प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी, राज्यस्तरीय मधुपर्व के तहत प्रदर्शनी हेतु स्थल निर्माण, सजावट, पुरस्कार, आगन्तुक किसान एवं अन्य हेतु भोजन एवं आवासन,ऑडियो/विडियो, प्रचार–प्रसार एवं अन्य आवश्यकतानुसार मद में व्यय किया जायेगा।

7. बिहार के GI Tag प्राप्त उद्यानिक फसल जैसे जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची के साथ–साथ मखाना इत्यादि को बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों एवं विदेशों में पहचान दिलाने हेतु आयोजित होने वाली उद्यान प्रदर्शनी/अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेकर स्टॉल लगाने, नामित पदाधिकारी/कर्मियों को आने जाने, आवश्यकतानुसार ठहरने एवं अन्य आवश्यक मद पर व्यय किया जायेगा।

8. राज्यस्तरीय उद्यान प्रदर्शनी/मधुपर्व (Honey Festival) प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन,राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान प्रदर्शनी/अधिवेशन/सम्मेलन में भाग लेने का कार्य विभागीय निदेश के अनुपालन में किया जायेगा। प्रदर्शनी के आयोजन के उपरान्त व्यय की गई राशि के अभिश्रव/विपत्रों का बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में पारित कर संबंधित को भुगतान किया जायेगा।

9. **अवयवार इकाई लागत अनुसूची 1–8** के रूप में संलग्न है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम हेतु अवयववार आवंटित राशि का विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव,/सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रमंडल मुख्यालय के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा आवंटित राशि का विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जिलास्तरीय उप समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

10. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमावली के आलोक में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, एवं कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त व्यय की गई राशि के अभिश्रव एवं विपत्रों को नियमानुसार पारित कर अलग गार्ड File में व्यवस्थित ढ़ंग से रखा जायेगा। व्यय की गई राशि का संधारण राज्य योजनान्तर्गत संधारित रोकड़ पंजी में किया जायेगा।

11. बिहार वित्त नियमावली के आलोक में राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्तीय वर्षवार एवं अवयववार स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा, तथा निदेशक उद्यान द्वारा सचिवालय, कोषागार से आवंटित राशि निकासी कर मिशन निदेशक बिहार बागवानी विकास सोसईटी के PLA खाता संख्या–PBBPLA-021 में जमा करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। मिशन निदेशक द्वारा प्रमंडल स्तर पर कार्यान्वित होने वाली उद्यान प्रदर्शनी हेतु संबंधित प्रमंडल जिला मुख्यालय के सहायक निदेशक उद्यान को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

13. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. इन योजनाओं के लिए निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

15. योजना कार्यान्वयन में वित्तीय सीमा के अन्दर आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

16. वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019–20) में स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01.2401001190101,विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	12325.960	141.100
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 1, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01. 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.31. 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	2376.090	27.200
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 1, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01. 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.31. 06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	148.510	1.700
कुल	**14850.56**	**170.00**

17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं०–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या–NHM/BHDS/662/2019 के पृष्ठ संख्या–07/टि० पर दिनांक 23.12.2019 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Rdinda

19. राज्या [illegible] रिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका NHM/BHDS/662/2019 के पृष्ठ सं[illegible]र दिनांक 06.01.2020 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–228 दिनांक 27.12.2019 है।

विश्वासभाजन

9.1.2020

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/662/2019 63 NHM, पटना, दिनांक 10/01/2020 ~~2019~~

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.2020

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/662/2019 63 NHM, पटना, दिनांक 10/01/2020 ~~2019~~

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.2020

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/662/2019 63 NHM, पटना, दिनांक 10/01/2020 ~~2019~~

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.2020

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/662/2019 63 NHM, पटना, दिनांक 10/01/2020 ~~2019~~

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार,पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार,पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.1.2020

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।